रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 323] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 1973/भाद्र 30, 1895

No. 323] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 1973/BHADRA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 21st September 1973

S.O. 510(E)|18FB|IDRA|73.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 653(E), dated the 11th October, 1972 (herinafter referred to as the said Order), the Central Governent, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Smith, Stanistreet and Co. Ltd., Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a furher period up to the 3rd May, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period up to the 3rd May, 1974.

[No. F. 4/2/72-C.U.C.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1973

एस० ओ० 510 (अ)/18 च ख/–आई डी आर ए/73.—यत: भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 653 (ई) तारीख 11 अक्तूबर, 1972 (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्व से संबंधित से भिन्न) सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, अधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का प्रवर्तन जिनका स्मिथ स्टनीस्ट्रीट एण्ड कं० लि० कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू है, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व तद्धीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 3 मई, 1974 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अत:, अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त आदेश की अवधि 3 मई, , 1974 तक की अवधि के लिए और बढ़ाती है ।

[सं० फा० 4/2/72–सी०यू० सी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973